

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी बरसी, जयपुर

वादी
नाम

बनाम

कमला व अन्य

प्रतिवादीगण

संख्या 188/24

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

5.09.2024

वादीगण की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये रजि० नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 24/09/2024 को पेश हो।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
बरसी

24/9/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर नोटिस पेश किए रजि० नोटिस जारी बाप जांच जारी होकर पत्रावली वास्ते इंटरजाएरलबी हेतु दिनांक 29/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बरसी जिला-जयपुर

29/10/24

पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता श्री सुरेश शर्मा ने रजि० नोटिस पेश की जिसे शांति पत्रावली के पत्रावली इंटरजाएरलबी दिनांक 17/11/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बरसी जिला-जयपुर


17/11/24

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/कार्य के व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो।

21/11/25

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/कार्य के व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो।

खान्ना वनाम कसपा

आहा वाही	आहा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
ग/ध	<p>पत्रावली पेशा वाही एवं वाही अधिकता अनुपातिक बार-बार आवाज लगावाई गई कोई भी घाजित नहीं इससे यह स्पष्ट है कि वाही एवं वाही अधिकता अधिकता वाफपा भी अनुपात नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p style="text-align: right;">अतः उक्त</p> <hr/> <p>वाफपा अहम एजली - अहम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली दर्ज नम्बर से कम वेस्ट दफतर दाखिल है।</p> <p style="text-align: center;">  21/7/25 उपरान्त अधिकारी बरसी जिला-जयपुर </p>	